रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1993/पौष 10, 1915
No. 463] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1993/PAUSA 10, 1915

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1993

सा०का०नि० 801(अ)—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में—

(क) नियम 3 के उपनियम (3क) के खंड (1) में, उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों में शब्दों के स्थान पर "उन उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों में भिन्न उद्योगों, संक्रियाओं या प्रसंस्करणों से, जिनके लिए मानक, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् —

क्रम सं०	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"62	विस्कोस तंतु सूत (मानव निर्मित फाइबर अर्ध-परिष्कृत उद्योग के उप-सेक्टर)	वाहित स्राव	(सि०ग्रा०/एल में साधारण सिवाय पी.एच. के)
		पी.एच.	5.5—9.0
		निलंबित ठोस	100
		20° से० पर बीओडी	30
		जस्ता (जैड्एन के रूप में)	5"

(ग) सा०का०नि० 919(अ), तारीख 12 सितम्बर, 1988 द्वारा अंत स्थापित नियम 3 से सबंधित अनुसूची 2, का लोप किया जाएगा

(घ) अनुसूची 6 के भाग-क में,--

(i) क्रम संख्यांक 4, 24, 25, 26, 28 31 और 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ii) मद 10 में, "एनएच3" शब्दों के स्थान पर "एन" अक्षर रखा जाएगा ।

(iii) मद 11 में, "एन एच3" शब्दों के स्थान पर "एनएच$_3$" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) मद 12 में "अधिकतम" शब्द के स्थान पर "मिग्रा/नि० अधिकतम" शब्द रखे जाएंगे ।

(v) + + + +

(vi) + + + +

(vii) मद 33 में "सी2एच5ओएच के रूप में)" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "(सी$_6$ एच$_5$ ओ एच के रूप में)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(viii) क्रम संख्यांक 34(क) और क्रम संख्यांक 34(ख) के सामने स्तम्भ 2 के नीचे 'यूरा/एमएल' और "यूसा/एमएल" शब्दों के स्थान पर "माइक्रोग्राम/एमएल" शब्द रखे जाएंगे ।

(ix) क्रम संख्यांक 34(क) पर, स्तम्भ (ग) के नीचे "10–7" अंकों के स्थान पर "10–8" अंक रखे जाएंगे ।

(x) क्रम संख्यांक 34(ख) पर, स्तम्भ (घ) के नीचे "10–7" के स्थान पर "10–8" अंक रखे जाएंगे ।

(ङ) अनुसूची 6 में भाग-ख के नीचे

(i) क्रम संख्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 और 11 के सामने "टन" शब्द के स्थान पर 'मीटरी टन' शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) मद सं० 1, 2, 3, 4(क), 5(क), 5(ख), 6(i और ii), 7, 8, 10 और 11 (क और ख) में "एम3/टन" शब्दों के स्थान पर "एम3 मीटरी टन" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) क्रम संख्यांक 3 के सामने मद (क) 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्--

"(ii) विस्कोस स्टेपिल रेशे उत्पाद के 150 एम3/मीटरी टन

(iii) विस्कोस फिलामेंट यार्न उत्पाद के 500 एम3/मीटरी टन

(iv) * * *

(v) * * *

(vi) * * *

(च) अनुसूची 6 में भाग ग के नीचे --

(i) * * *

(ii) पंक्ति 10 में "एम टी" शब्दों के स्थान पर 'मीटरी टन' शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) पंक्ति 12 में "टन" शब्द के स्थान पर 'मीटरी टन" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) * * *

(छ) अनुसूची 6 में, भाग घ के संकेन्द्रण आधारित मानक से संबंधित मद 1 के नीचे --

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने "निलंबित भिस्मकर्ण पदार्थ (एम०पी०एम०)" शब्दों के स्थान पर "भिस्मकण पदार्थ (प०एम०)" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने "फ्लो राइड" शब्द के स्थान पर "फ्लुओराइड" और अंक "10" के स्थान पर अंक "25" रखे जाएंगे,

(iii) क्रम संख्यांक 3 के सामने "4 फाइबर/मी मी' शब्दों और अंक के स्थान पर "4 फाइबर/मी मी और धूल 2 एम जी/एन एम3 से अधिक नहीं होनी चाहिए" शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(iv) क्रम संख्यांक 7, 10 और 12 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,

(v) * * *

(vi) क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे '20" अंकों के स्थान पर "10" अंक रखे जाएंगे;

(ज) अनुसूची 6 में, भाग घ के उपरोक्त आधारित मानक से संबंधित मद 2 के नीचे,

(i) "सल्फर डाई आक्साइड उत्सर्जन को छिलराव करके नियंत्रित किया जाता है, तदनुसार चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई की सीमा निम्नानुसार विहित की गई है" शब्दों के स्थान पर "सल्फर डाईआक्साइड के छिलराव के लिए तदनुसार चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई की सीमा निम्नलिखित विहित की गई है" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) * * *

(iii) * * *

(iv) मद 1 (ii) के सामने "कोयला ज्वलन प्रविधियां" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(v) * * *

(झ) अनुसूची 6 में, भाग घ की मद 3 के नीचे --

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने "एम पी एच" शब्द के स्थान पर, "भिस्मकण पदार्थ (पी एम)" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) * * *

(iii) क्रम संख्यांक 2 के सामने "जस्ता प्रगलन परिवर्तित" शब्दों के स्थान पर "जस्ता प्रगलक/परिवर्तक" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) क्रम संख्यांक 7 के सामने "पी बी एस डब्ल्यू पूर्व पृष्ठपोषित पपशर्व चालित" शब्दों के स्थान पर "पी बी एस डब्ल्यू.-पूर्वपृष्ठपोषित पार्श्व कार्य" शब्द और "पी बी सी डब्ल्यू-पूर्व पृष्ठपोषित चालित शब्दों के स्थान पर "पी बी सी. डब्ल्यू --पूर्व पृष्ठपोषित कार्य शब्द रखे जाएंगे ।

(v) क्रम संख्यांक 6 (क) के सामने 'ताज ट्रैपोजियम के क्षेत्र में जिसके अंतर्गत मथुरा, फतेहपुर, सीकरी, आगरा और भरतपुर, है, अवस्थिति परिष्करणियों के लिए निम्नलिखित मानक लागू होंगे" शब्दों के स्थान पर "तेल परिष्करणियों के लिए निम्नलिखित मानक लागू होंगे' शब्द रखे जाएंगे ।

IndiaCode

(vi) क्रम संख्यांक 6 (क) के सामने, "वायुमंडलीय)" शब्द के स्थान पर "(निर्वात के साथ वायुमंडलीय)" और "कि. ग्रा./मी.ट." शब्दों के स्थान पर "कि. ग्रा./मीट्री टन" शब्द रखे जाएंगे ।

(vii) क्रम संख्यांक 6(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ञ) अनुसूची 6 के भाग ङ में,-

(i) पहली पंक्ति के सामने "(एक मीटर पर मुक्त क्षेत्र)" शब्दों के स्थान पर "(7 5 मीटर की दूरी पर मुक्त क्षेत्र)" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) मद ख (ख) में "वायु गतिन" शब्दों के स्थान पर "वायुगतिन" शब्द रखा जाएगा ।

(ट) अनुसूची 6 के उपाबंध 1 में,--

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने "(बी पी टी)" शब्दों के स्थान पर "(बी ए टी)" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) * * *

(iii) क्रम संख्यांक 7 के सामने 'औद्योगिक खनन और खनिज प्रसंस्करण क्रियाकलापों तथा मल जैसे निस्सारित सभी बहिस्रोतों को लागू होंगे" शब्दों के स्थान पर खनन और खनिज प्रसंस्करण क्रियाकलापों तथा मल जैसे निस्सारित सभी बहिस्रोतों को भ लागू होंगे, शब्द रखे जायेंगे" ।

(iv) * * *

(v) * * *

(vi) * * *

(vii) क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(viii) * * *

(ix) प्रविष्टि स 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी ,

"14 किसी उपचारित बहिस्राव में सामान्यतया प्रचलित अभिक्रिया (सी ओ डी) साधारण किसी ग्राहय निकाय (सार्वजनिक मलनाली सिंचाई भूमि, अंतर्देशीय भूपृष्ठ जल और सामुद्रिक तटवर्ती क्षेत्रों) में व्ययन से पूर्व यदि लगातार 250 एम जी एल. से अधिक पायी जाती हो, तो ऐसी औद्योगिक इकाइयों से उन्हें कार्यान्वित करने वाले स्थायनों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है । यदि ये पर्यावरणमय अपशिष्ट (प्रबन्ध और हथालन) नियम, 1989 की अनुसूची 1 में यथापरिभाषित आविषालु पाए जाते है तो राज्य बोर्ड ऐसे मामलों में उद्योगों को समय सीमाबिन्धित करते हुए, तृतीयक अभिक्रियान्वयन संयत्र संस्थापित करने का निदेश देगा ।

15. सार्वजनिक मलनाली में बहिस्राव के निस्तारण के लिए अनुसूची 6 के भाग क में विनिर्दिष्ट मानक तभी लागू होंगे यदि ऐसी मलनाली द्वितीयक अभिक्रियान्वयन के साथ है जिसमें जैव अभिक्रियान्वयन प्रणाली शामिल है अन्यथा, मलनाली में निस्सारण को अंतर्देशीय भूपृष्ठ जल में निस्सारण समझा जाएगा ।"

(x) संख्यांक 9 (ग) के सामने "30° कि.ग्रा.लि. से अधिक बी ओ डी" शब्द के स्थान पर "3 कि.ग्रा लि से अधिक बी ओ डी "शब्द रखे जाएंगे ।

(ड) अनुसूची 6 के उपाबंध 2 में,--

(i) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,- अर्थात् .--

"ताप, सीमा तथा जस्ता प्रगलन की दशा में, जहां तक संभव हो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए ऑफ गैसों का उपयोग किया जा सकेगा ।

(ii) उपाबंध 2 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"4 कपूरोला, (काकड़ी) की दशा में जिनकी क्षमता (गलनदर) 5 मीट्रिक टन घंटा से कम है, निस्सरण पदार्थ का उत्पर्जन 450 एम जी/एन एम³ के अनुपात होगा। इन मामलों में यह आवश्यक है कि स्टेक ऊंचाई वाले के पास कपूरोला के ऊंचाई बनाया जाए और उत्सर्जन स्टेक के माध्यम से किया जाए जो कपूरोला के व्यास से कम से कम 6 गुना होना चाहिए । आर्क भट्टी और ब्लेस्ट भट्टा की दशा स्टेक के माध्यम से उत्सर्जन को विसर्जन से पूर्व धूल संग्रहण करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी"।

(iii) क्रम संख्यांक 1 (अ) में 'वर्ष के दौरान 12 मासों में किसी मास में कम से कम दो बार किए जाएंगे' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) * * *

(iv) * * *

[फा. सं. क्यू-15017/24/89 सी पी डब्ल्यू]

टी. जार्ज जोजेफ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

G.S.R. 801(E).—In Exercise of the powers conferred by Section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—

(a) In rule 3, in sub-rule (3A), in clause (i), for the words "industriaes, operations or processes shall", the words "industries, operations or processes other than those industries, operations or processes for which standards have been specified in Schedule I shall" shall be substituted.

(b) In Schedule I, after serial number 61 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely,—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
"62.	Viscose Filament Yarn (sub-sector of man-made fibre semi-synthetic indstry)	Effluents	(Concentration in mg/l except for pH)
		pH.	5.5 9.0
		Suspended solids	100
		BOD, at 20 C	30
		Zinc (as Zn)	5"

(c) Sechedule II relating to rule 3, inserted vide No. G.S.R. 919(E), dated the 12th September, 1988 shall be omitted.

(d) in Schedule VI in Part-A, —

(i) serial numbers 4, 24, 25, 26, 28, 31 and 40 and the entires relating thereto shall be omitted.

(ii) in item 10 for the word "NH3" the letter "N" shall be substituted;

(iii) in item 11 for the word "NH3" the word "NH3" shall be substituted.

(iv) in item 12, for the word 'max' the words 'mg|1 max" shall be substituted.

(v) in item 14, for the word 'Mg' the word 'mg' shall be substituted.

(vi) in item 29, for the word 'Flouride' the word 'Flouride' shall be substituted.

(vii) in item 33, for the words "(as C2H5OH)" the words "(as C_2H_5 OH)" shall be substituted;

(viii) under column 2 against serial number 34(a) and 34(b) for the words "Uc|ml" and "uc|ml", the words "micro curie|ml" and "micro curie|ml" shall be substituted.

(ix) Under column (c) at serial number 34(a) for tht figure "10^{-7}", the figure "10^{-8}" shall be substituted.

(x) Under column (d) at serial number 34(b) for the figure "10^{-7}", the figure "10^{-6}" shall be substituted.

(e) In Schedule VI, under Part -B, —

(i) against serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 11 for the word "ton", the word "tonne" shall be substituted;

(ii) in items Nos. 1, 2, 3, 4(a), 5(a), 5(b), 6(i & ii), 7, 8, 10 and 11 (a & b), for the words "M^3|ton" the words "m^3|tonne" shall be substituted;

(iii) Against serial number 3 for the item (a)(ii) and the entries relating thereto, the following items shall be substituted, namely .—

"(ii) Viscose Staple Fibre : 150 m^3|tonne of product;

(iii) Viscose Filament Yarn : 500 m^3|tonne of product";

(iv) in item 4(b), 4(c) and 9, for the words "m^3|KL" the words "m^3|KL" shall be substituted;

(v) in item 5(b), for the word "below", the word "blow" shall be substituted; and

(vi) in item 6(1) for the word "fiber", the word "fibre" shall be substituted.

(f) In Schedule VI, under Part C,—

(i) in lines 3 and 12 for the word "Kg" the word "kg" shall be substituted.

(ii) In line 10 for the word "MT" the word "tonne" shall be substituted.

(iii) In line 12, for the word "ton", the word "tonne" shall be substituted.

(g) in Schedule VI under Item I of Part-D relating to concentration based standards, —

(i) against serial number 1, for the words "Suspended Particulate Matter (SPM)", the words "Particulate Matter (PM)" shall be substituted;

(ii) against serial number 2, for the word "Fluoride", the words "Total Fluoride" and for the figure "10", the figure "25" shall be substituted;

(iii) against serial number 3, for the words and figure "4 Fibre|cc" the words and figure "4 Fibres|cc and dust should not be more than 2 mg|Nm^3" shall be substituted;

(iv) serial numbers 7, 10 and 12 and the entries relating thereto shall be omitted;

(v) against serial number 9, for the word "1% tax" the word "1% max (v|v)" shall be substituted.

(vi) against serial number 11, under the column 3, for the words and figures "20 mg|Nm^3", the words and figures "10 mg|Nm^3" shall be substituted.

(h) in Schedule VI, under Item-II of Part-D relating to equipment based standards, —

(i) for the words "Control of Sulphur dioxide emissions are achieved through dispersion. Minimum stack height limit is accordingly prescribed as below", the words "For dispersal of sulphur dioxide, a minimum stack height limit is accordingly prescribed as below :" shall be substituted;

(ii) against serial number 1 for the word "meters" the word "metre" shall be substituted.

(iii) in item 1(ii) for the word "T|hr", the word "tonne|hr" shall be substituted.

(iv) the entries against the item 1(ii) under heading "coal consumption per day" shall be omitted; and

(v) in the note—the words "MT-Metric tonnes" shall be omitted and for the word "metres" the word "metre" shall be substituted.

IndiaCode

(i) in Schedule VI, under Item III of Part-D, —

(i) against serial number 1, for the word "Fertilisers", the word "Fertiliser", and for the word "SPM", the words "Particulate Matter (PM)" shall be substituted;

(ii) against serial number 1, 2, 3, 4, and 5 for the word "Kg/T" the word "kg/tonne" shall be substituted;

(iii) against serial number 2, for the words "Nine Smelting Converter", the words "Zinc Smelter Converter' for the figures and words "(100%) and produced' the words and figures (100%) acid produced" and for the letter "1" the word "tonne" shall be substituted;

(iv) against serial number 7, for the words "PBSW — Pre backed Side Worked" the words "PBSW — Pre Backed Side Work" and for the words "PBCW—Pre backed Centre Worked" the words "PBCW — Pre Backed Centre Work" shall be substituted;

(v) against serial number 6(a) for the words "For the oil refineries located in the area of Taj trapezium which include Mathura, Fatehpur Sikri, Agra and Bharatpur, the following standards shall be applicable", the words "For the oil refineries, the following standards shall be applicable" shall be substituted;

(vi) against serial number 6(a), for the word "(Atmospheric)" the words "(Atmospheric plus vacum)" and for the word "Kg/MT" the word "kg/tonne" shall be substituted;

(vii) serial number 6(b) and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) in Schedule VI, Part-E,—

(i) against line 1, for the words "Free Field at one Meter)" the words "(Free Field Distance at 7.5 Metre)" shall be substituted;

(ii) in item B(b) for the word "collers" the word "coolers" shall be substituted.

(k) in Schedule VI in Annexure I, —

(i) against serial number 1 for the word "(BPT)", the word "(BAT)" shall be substituted;

(ii) in item No. 7 for the word "effluents" the word "effluents" shall be substituted;

(iii) against seral number 7, for the words "shall apply to all the effluents discharged such as industrial", the words "shall also apply to all other effluents discharged such as" shall be substituted;

(iv) under item 9(a) in 8th line for the word 'characteriestics", the word "characteristics" shall be substituted;

(v) in item 9(f) for the word "fr" the word "for" shall be substituted;

(vi) in item 10 at line 6 for the word "industdies" the word "industries' shall be substituted;

(vii) serial number 11 and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) in item 12 for the word "flouride" the word "fluoride" shall be substituted;

(ix) after entry No. 13 and the entries relaing thereto, the following entries shall be inserted :

"14. The chemical oxygen demand (COD) concentration in a treated effluent, if observed to be persistently greater than 250 mg/l before disposal to any receiving body (public sewer, land for irrigation, inland surface water and marine coastal areas), such industrial units are required to identify chemicals causing the same. In case these are found to be toxic as defined in the Schedule-I of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989, the State Boards in such cases shall direct the industries to install tertiary treatment stipulating time limit.

15. Standards specified in Part A of Schedule VI for discharge of effluents into the public sewer shall be applicable only if such sewer leads to a secondary treatment including biological treatment system, otherwise thee discharge into sewers shall be treated as discharge into inland surface waters."

(x) against item 9(c) for the ords "BOD more than 30 mg/l" the words "BOD more than 3 mg/l" shall be substituted.

(l) in Schedule VI in Annexure II,—

(i) for item 3, the following shall be substituted, namely : "In case of copper, lead and zinc smelting, the off-gases may, as far as possible, be utilised for manufacturing sulphuric acid".

(ii) At the end of Annexure II, the following shall be added, namely :

"4. In case of cupolas (Foundries) having capacity (melting rate) less than 3 tonne/hour, the particulate matter emissions shall be within 450 mg/Nm³. In these cases it is essential that stack is constructed over the cupola beyond the charging door and the emissions are directed through the stack, which should be at least six times the diameter of cupola. In respect of Arc Furnaces and Induction Furnaces, provision has to be made for collecting the fumes before discharging the emissions through the stack."

(iii) in serial number 1(j) the words "The measurements are to conducted at least twice a month for all the 12 months in a year" shall be omitted.

(iv) in item 1 (a, b, c, d, e, f, g, h, i and j) for the word "NM" the word "Nm" shall be substituted.

(v) in item j, for the words "micrograms/NM" the words "micrograms/Nm" shall be substituted.

[No. Q. 15017/24/89 CPW]

T. GEORGE JOSEPH, Jt. Secy.

FOOT NOTE.—Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification S.O. No. 844(E) dated the 19th November, 1986. Amending rules were published vide S.O. No. 433(E) dated 18-4-1987, S.O. No. 64(E) dated 18-1-1988, S.O. No. 12(E) dated 8-1-1990, S.O. No. 8(E) dated 3-1-1989, S.O. No. 190(E) dated 15-3-1989, G.S.R. 917(E) dated 24-10-1989, G.S.R. 742(E) dated 30-8-1990, S.O. No. 23(E) dated 16-1-1991, G.S.R. 93(E) dated 21-2-1991, G.S.R. 95(E) dated 12-2-1992, G.S.R. 329(E) dated 13-3-1992, G.S.R. 475(E) dated 5-5-1992, G.S.R. 797(E) dated 1-10-1992, G.S.R. 386(E), dated 28-4-1993 and G.S.R. 422(E) dated 19-5-1993.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994